भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1770

(जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

"राजस्व संग्रहण में सुधार लाना"

1770. डॉ. धर्मवीर गांधी:
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से माल और सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण के लक्ष्य क्या रहे हैं और इन लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक संग्रहण कितना है;
(ख) वर्ष 2020 से अब तक कुल कितने माल और सेवा कर अपवंचन के मामलों का पता चला है और वसूल किए गए करों की संगत राशि कितनी है;
(ग) सरकार प्रणालीगत कमियों की पहचान करने, अनुपालन में सुधार लाने और बार-बार होने वाले कर अपवंचन को रोकने के लिए ई-इन्वॉयसिंग और जीएसटीएन एनालिटिक्स जैसे उपायों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किस प्रकार करती है; और
(घ) इन उपायों का राजस्व संग्रहण में सुधार लाने और प्रणाली में कमियों को दूर करने के संबंध में क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) : पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान बजट/संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में निवल केंद्रीय जीएसटी के संबंध में वास्तविक राजस्व संग्रहण निम्नानुसार है:

निवल केंद्रीय जीएसटी संग्रहण

(सीजीएसटी + आईजीएसटी (अवशिष्ट) + जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर)

राशि करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	**बजट प्राक्कलन (ब.प्रा.)**	**संशोधित प्राक्कलन (संशो.प्रा.)**	**वास्तविक संग्रह**	**प्राप्त ब.प्रा. का प्रतिशत**	**प्राप्त संशो.प्रा. का प्रतिशत**
2019-20	6,63,343	6,12,327	5,98,749	90.3%	97.8%
2020-21	6,90,500	5,15,100	5,48,777	79.5%	106.5%
2021-22	6,30,000	6,75,000	6,98,114	110.8%	103.4%
2022-23	7,80,000	8,54,000	8,49,132	108.9%	99.4%
2023-24	9,56,600	9,56,600	9,57,208	100.1%	100.1%

स्रोत: प्राप्ति बजट

(ख): वर्ष 2020 से केंद्र सरकार द्वारा पता लगाए गए जीएसटी अपवंचन के मामलों की कुल संख्या और वसूल किए गए करों का संगत मूल्य इस प्रकार है:

जीएसटी अपराध मामलों की कुल संख्या			
अवधि	**मामलों की संख्या**	**पता लगाए गए (करोड़ रुपए में)**	**स्वैच्छिक जमा (करोड़ रुपए में)**
2020-21	12596	49384	12235
2021-22	12574	73238	25157
2022-23	15562	131613	33226
2023-24	20582	230332	31758
2024-25 (जनवरी, 2025 तक)	25397	194938	21520
कुल	**86711**	**679505**	**123896**
आईटीसी धोखाधड़ी के कुल मामलों की संख्या			
अवधि	**मामलों की संख्या**	**पता लगाए गए (करोड़ रुपए में)**	**स्वैच्छिक जमा (करोड़ रुपए में)**
2020-21	7268	31233	2232
2021-22	5966	28022	2027
2022-23	7231	24140	2484
2023-24	9190	36374	3413
2024-25 (जनवरी, 2025 तक)	13018	46472	2211
कुल	**42673**	**166241**	**12367**

स्रोत: जीएसटी जांच प्रकोष्ठ;

(ग) और **(घ):** अनुपालन में सुधार लाने और कर अपवंचन को रोकने में मदद के लिए केन्द्र सरकार और जीएसटीएन द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे ई-चालान के माध्यम से डिजिटलीकरण, करदाता की अनुपालन विशेषताओं के आधार पर स्वचालित जोखिम आकलन जैसे जीएसटी विश्लेषण, सिस्टम-फ्लैग किए गए बेमेल के आधार पर आउटलायर्स को हाइलाइट करना, कार्रवाई योग्य रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से विभिन्न उपकरणों के माध्यम से जीएसटी राजस्व जोखिमों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से खुफिया जानकारी प्रदान करना, करदाता व्यवहार में विसंगतियों की पहचान के आधार पर जीएसटी गैर-अनुपालन या अपवंचन के बारे में इनपुट तैयार करना (जैसे संभावित कर अपवंचन, फर्जी पंजीकरण, और संदिग्ध ई-वे बिल गतिविधि आदि) और जांच के लिए रिटर्न का चयन और विभिन्न जोखिम मापदंडों के आधार पर ऑडिट के लिए करदाताओं का चयन करना। ये उपाय राजस्व की सुरक्षा और कर अपवंचन करने वालों को पकड़ने में सहायक हैं। कुछ परियोजनाएं भी शुरू की गईं जैसे कि "प्रोजेक्ट अन्वेषण" (विश्लेषण, सत्यापन, विसंगतियों की सूची बनाना) जिसके माध्यम से चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस), ई-वे बिल डेटा आदि जैसी नई तकनीकों का उपयोग करके फर्जी/धोखाधड़ी गतिविधि की प्रवृत्ति वाले जीएसटीआईएन की शीघ्र पहचान की गई ताकि खुफिया रिपोर्टें तैयार की जा सकें।

यद्यपि उपरोक्त उपाय राजस्व संग्रहण में योगदान करते हैं, किन्तु प्रणालीगत कमियों की पहचान करने, अनुपालन में सुधार लाने तथा बार-बार होने वाले कर अपवंचन को रोकने में ऐसे उपायों का पूर्ण प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है।

राजस्व वृद्धि और कर अपवंचन की घटनाओं में कमी जैसे परिणामों को केवल सभी या किसी एक उपाय के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक स्थितियां, देश में आर्थिक विकास, वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत का स्तर, कर की दर आदि जैसे कई अन्य कारक भी इसके लिए प्रासंगिक हैं।

*****